तार : 'फूडकॉर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
०६६१११२३४१३२४१
००६१११२३४१३१०३
Fax No. : HFCI ND
00911123413241
00911123413103

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००१, दूरभाष-२३४१३८७१-२३४१४८७२-२३४१४८८०
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 23413871-23414872-23414880

सं. 1.12/ फैप/ इंपलीमेंटेशन / 2013 दिनांक : 01.01.2014

परिपत्र सं. फैप / 17/ 2014

विषय : दिनांक 31.03.2013 तक वेतन से वसूल किए जाने वाले ऋण तथा बकाया अग्रिमों केलिए आरंभिक शेष का मिलान करना।

कृपया दिनांक 13 दिसंबर 2013 के ई-मेल का संदर्भ लें जिसमें दिनांक 31.03.2013 तक बकाया " ऋण तथा अग्रिमों " के आरंभिक शेष के समायोजन के लिए स्क्रीन को प्रदर्शित किया गया है । उपरोक्त उल्लिखित ई-मेल के माध्यम से यह भी परामर्श दिया गया था कि सभी एक्टिव ऋणों को केवल उपलब्ध स्क्रीन के माध्यम से ही समायोजित किया जा सकताहै। तथापि, वेतन के माध्यम से वसूल योग्य दिनांक 31.03.2013 तक के ऋण तथा अग्रिमों के आरंभिक शेष के समायोजन के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए फील्ड कार्यालयों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। आरंभिक शेष का मिलान करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाए :-

(i) दिनांक 31.03.2013 तक के बकाया सभी "ऋणों तथा अग्रिमों" जिनकी वसूली वेतन से की जानी है , की अनुसूची "बकाया ऋण तथा अग्रिमों की रिपोर्ट " से "पे-रोल मॉडयूल" के माध्यम से बनाई जाए।

(ii) किसी भी विसंगति के पाए जाने की स्थिति में, ऋण तथा अग्रिमों का आरंभिक शेष जो वर्तमान में एक्टिव हैं, उनका समायोजन पे-रोल मॉडयूल में दिए "Loans and advances Ajustment Screen" से किया जाएगा।

(iii) "Loans and advances " के संबंध में विसंगति पाए जाने पर जिनकी पे-रोल मोडयूल से पहले ही वसूली कर ली गई है तथा जो वर्तमान तारीख से एक्टवि नहीं हैं, उन्हें उपरोक्त स्क्रीन के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता है तथा सत्यापन के लिए फैप के माध्यम से किए गए समायोजन / वसूली के ब्यौरे सहित इसे मैनुअली चिन्हित किया जाएगा।

(iv) कर्मचारियों के संबंध में ऋण तथा अग्रिमों की जहां नियमित रूप से (सेवानिवृत/मृतक कर्मचारी / न्यायिक मामले इत्यादि) वसूली नहीं की जा रही है, उनकी वसूली योग्य अग्रिमों के रूप में Accounts Receivable Module में एंट्री की जाएगी।

(v) पीएलआई एडवांस तथा वाहन अग्रिम, एचबीए ऋण, कंप्यूटर अग्रिम आदि के संबंध में अक्रूड इंटरेस्ट वर्तमान में सिस्टम द्वारा जनरेट नहीं किए जा रहे हैं।इन्हें शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा । तथापि, तब तक क्लोजर की अद्यतन अवधि जारी रहेगी, चूंकि यह दिन-प्रतिदिन की किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रभावित नहीं करता है।

हस्ता./-

(आर.आर. अग्रवाल)

महाप्रबंधक (फैप)